

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
गोरखपुर, दिनांक 03.02.2025

सं०:2021/मेड/सतर्कता निस्तारण

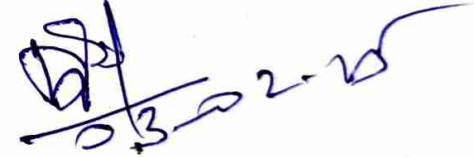
चिकित्सा निदेशक/ल०न०मि०रे०चि/गोरखपुर ।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर ।

विषय : रेफर के अनुसार अनुबन्धित प्राइवेट चिकित्सालय के एम०ओ०यू० में दिये उपचार की व्याख्या के सम्बन्ध में ।

संदर्भ : उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर का पत्र संख्या:V9/2024/05/02029/
PC/215 दिनांक 29.01.2025

उक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें, ताकि सतर्कता विभाग को सूचित किया जा सके ।

संलग्नक-यथोपरि



(डा० डी०के०सिंह)

अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक/एम०एस०

प्रतिलिपि - उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ ।

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर-273012



Office of the
General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012

No.V9/2024/05/02029/PC/215

Dated- 29.01.2025

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय :- रेफर के अनुसार अनुबंधित प्राइवेट चिकित्सालय के MOU में दिए उपचार की व्याख्या के संबंध में ।

एक सतर्कता जाँच के क्रम में पाया गया कि मंडल रेल चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा रेलवे लाभार्थी को RTA & Trauma over face NCCT Brain done which shows comminutive fracture B/L Nasal bone and nasal septum से पीड़ित होने के कारण रेलवे चिकित्सालय बादशानगर से अनुबंधित प्राइवेट चिकित्सालय Medics International Life Sciences LTD Hospital (UP) में रेफर किया गया। इमरजेंसी कंडीशन में रेफर होने के बाद भी रेलवे लाभार्थी से यह बताते हुए उपचार से इंकार कर दिया गया कि रेलवे द्वारा जिस उपचार हेतु मरीज को इम्पैनलड प्राइवेट चिकित्सालय में रेफर किया गया है, उस उपचार हेतु इम्पैनलड प्राइवेट चिकित्सालय सम्बद्ध नहीं है। इसके उपरांत कैश भुगतान लेकर इम्पैनलड प्राइवेट चिकित्सालय द्वारा उपचार किया गया। सतर्कता विभाग के पत्र सं. V9/2023/06/01042/PC दिनांक 08/09/2023 में रेलवे चिकित्सालय से रेफर किये जाने वाले रेलवे लाभार्थियों के लिए रेफर प्रारूप की अनुशंसा किया गया है। जिसे आपके कार्यालय के पत्र सं. 2021/मेड/सतर्कता/निस्तारण, गोरखपुर दिनांक 09/10/2023 द्वारा पद्धति सुधार जारी किया गया। उक्त पद्धति सुधार हेतु दिए प्रारूप में इम्पैनलड प्राइवेट हॉस्पिटल किस उपचार हेतु इम्पैनलड है इसका भी उल्लेख है। अतः रेलवे चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा रेलवे लाभार्थियों को अनुबंधित प्राइवेट चिकित्सालय में रेफर के दौरान ही MOU के अंतर्गत आने वाले किस उपचार के अंतर्गत रेफर किया गया है, इसका स्पष्ट बोध एवं उल्लेख होना चाहिए। जिससे रेलवे चिकित्सालय से रेफर होने वाले रेलवे लाभार्थियों को इम्पैनलड प्राइवेट चिकित्सालय में होने वाले असुविधा से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त रेलवे चिकित्सालय से इम्पैनलड प्राइवेट चिकित्सालय के MOU में यदि "Critical Care" अथवा इस प्रकार का कोई अन्य उपचार जिसका व्याख्या बहुत वृहद् है तो इसके उपचार का भी स्पष्ट व्याख्या किया जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के उपचार का लाभ रेलवे लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा। कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के पश्चात कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराएं। उक्त पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

Akshay
29/01/25
(अमित कुमार)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता